न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **07/2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रतन देवी शर्मा पत्नी महावीर प्रसाद निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
––अपीलार्थिया		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :25.01.2022

अपीलार्थिया की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.12.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थिया ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 946500 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 16.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु आवेदन पत्र से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के अधीनस्थ तहसीलदार, भीलवाड़ा के कार्यालय से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक सू.अ./2022/202 दिनांक 19.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थिया द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थिया द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना तैयार कर निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क कार्यालय में जमा करा नकले प्राप्त करने हेतु कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2022 से प्रार्थिया को लिखा गया, अपीलार्थिया द्वारा राशि जमा कराये जाने पर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार नियमानुसार राशि जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थिया अस्वीकार की जाकर अपीलार्थिया को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, भीलवाड़ा के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करा प्रतिलिपि प्राप्त करें।

आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा